पत्रांक - वि.प.अ.प्र.-236/2015- 101 (1)वि.प.

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

प्रेषक – श्री ध्रुव नारायण पाठक
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

श्री संजय कुमार सिंह, सदस्य, बिहार विधान परिषद्
श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार
श्री नीतीश कुमार, नेता, जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल, बिहार विधान परिषद्

पटना, दिनांक 14-1-2016

विषय : माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार की सदस्यता से निरर्हरित करने से संबंधित याचिका पर माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् द्वारा दिए गए लिखित आदेश की प्रति का प्रेषण।

महोदय,

बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के नियम 8(1)(ख) के आलोक में उपर्युक्त विषय से संबंधित माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश की प्रति संलग्न की जाती है।

संलग्नक- यथोक्त

विश्वासभाजन,
14/1/16
(ध्रुव नारायण पाठक)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के प्रावधान के आलोक में माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल की याचिका दिनांक 2-11-2015 के आलोक में माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हित किए जाने संबंधी वाद पर न्याय निर्णय

दिनांक 14-1-2016

इस वाद का आरंभ श्री संजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद्, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 2-11-2015 के आधार पर किया गया। श्री संजय कुमार सिंह को आवेदन समर्पित करने हेतु श्री नीतीश कुमार, नेता, जनता दल (यू) के द्वारा अधिकृत किया गया है।

दिनांक 6-1-2016 को सुनवाई समाप्त होने के उपरान्त आदेश के ऑपरेटिव पार्ट की उद्घोषणा करते हुए श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निर्हरित घोषित किया गया है एवं यह भी स्पष्ट किया गया है कि विस्तृत सकारण आदेश दिनांक 14-1-2016 को पारित किया जाएगा। यहां मैं यह स्पष्ट करना उचित समझता हूं कि ऑपरेटिव पार्ट में तथ्यों की भूल (Mistake of facts) के कारण यह अंकित हो गया है कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। वस्तुत: श्री सम्राट चौधरी महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनीत उम्मीदवार के रूप में बिहार विधान परिषद् के सदस्य बने हैं। बिहार विधान परिषद् का सदस्य मनोनीत होने के उपरान्त संविधान में विहित प्रावधानों के अंतर्गत उन्होंने लिखित रूप से जनता दल (यू) की सदस्यता ग्रहण की और इस प्रकार वह बिहार विधान परिषद् में जनता दल (यू) के सदस्य बने हैं। ऑपरेटिव पार्ट में तथ्यों की भूल इस हद तक संशोधित माना जाएगा।

श्री संजय कुमार सिंह ने अपने आवेदन में यह कहा है कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। मनोनयन के उपरान्त उन्होंने जनता दल (यू) की सदस्यता ग्रहण कर लिया। जनता दल (यू) का सदस्य रहते हुए वह श्री जीतन राम मांझी एवं कतिपय अन्य सदस्यों द्वारा गठित हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (सेक्युलर) (इस आदेश में 'हम' के नाम से दिखलाया जाएगा) दल के गठन में सक्रिय भूमिका निभाई। माननीय सदस्य इस नए राजनीतिक दल की बैठकों, राजनीतिक सभाओं एवं रैलियों में लगातार सम्मिलित होते रहे हैं। आवेदक ने अपने आवेदन में आगे उल्लेख

किया है कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के पिता श्री शकुनी चौधरी 'हम' के प्रदेश अध्यक्ष हैं एवं बिहार विधान सभा के चुनाव में तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से 'हम' पार्टी के प्रत्याशी थे। श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के भाई श्री राजेश कुमार उर्फ रोहित कुमार खगड़िया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी थे। श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने अपने पिता के समर्थन में प्रचार-प्रसार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 'हम' एक घटक दल है और इस गठबंधन के अन्य प्रत्याशियों के पक्ष में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने प्रचार-प्रसार में हिस्सा लिया है। आवेदक ने उल्लेख किया है कि इस प्रकार श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार भारत के संविधान की धारा 191 सह पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निर्हरित हो चुके हैं एवं उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें निर्हरित घोषित करने की कृपा की जाए। बिहार विधान परिषद् में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का वर्तमान कार्यकाल दिनांक 23-5-2020 को समाप्त हो रहा है।

श्री संजय कुमार सिंह के आवेदन का संज्ञान लेते हुए श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को दिनांक 3-11-2015 को नोटिस प्राप्त कराया गया और अनुरोध किया गया कि नोटिस प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करें। उन्होंने न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया और न ही उपस्थित हुए। जवाब प्रस्तुत नहीं करने के बाद दिनांक 9-11-2015 को इस पर विचार किया गया और उन्हें पुन: एक और नोटिस देकर अनुरोध किया गया कि दिनांक 19-11-2015 को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हों। दिनांक 19-11-2015 को माननीय सदस्य की ओर से प्रेषित पत्र दिनांक 19-11-2015 प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि परिषद् सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है जबकि परिषद् सचिवालय द्वारा विशेष दूत से पत्र प्रेषित किया गया था। उन्हें पुन: नोटिस भेजा गया और अनुरोध किया गया कि वे दिनांक 24-11-2015 को अपना पक्ष प्रस्तुत करें। दिनांक 24-11-2015 को माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि विधिक विवेचना हेतु चार सप्ताह का समय दिया जाए। इसके बाद उन्हें दिनांक 1-12-2015 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया। उक्त तिथि को वे न तो स्वयं उपस्थित हुए और न उनका कोई पत्र आया। पुन: दिनांक 5-12-2015 को श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने अनुरोध किया कि वे अस्वस्थ हैं और स्वस्थ हो जाने तक के लिए समयावधि का विस्तार किया जाए। इस आवेदन पर विचार किया गया एवं उन्हें दिनांक 9-12-2015 को उपस्थित होने के लिए समय निर्धारित की गई। पुन: श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने दिनांक 9-12-2015 को पत्र भेजकर सूचित किया कि वे अभी भी अस्वस्थ हैं अतएव 30 दिनों का और समय दिया जाए। इस पत्र पर निर्णय लिया गया कि उन्हें अपना पक्ष

रखने के लिए एक और मौका दिया जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि वे दिनांक 14-12-2015 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। पुन: दिनांक 14-12-2015 को श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपनी अस्वस्थता का जिक्र कर तीन सप्ताह का और समय मांगा। इस मामले पर अगली सुनवाई दिनांक 23-12-2015 को निर्धारित की गई। दिनांक 22-12-2015 को माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि बीमार होने के कारण वे स्वयं उपस्थित होने से असमर्थ हैं। पटना उच्च न्यायालय में चूंकि अवकाश हो गया है अतएव अधिवक्ता बाहर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में जनवरी माह का कोई समय दिया जाए ताकि वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकें। इस वाद पर अगली सुनवाई की तिथि 4-1-2016 को निर्धारित करते हुए निर्णय लिया गया कि श्री सम्राट चौधरी को सूचित कर दिया जाए कि माननीय सदस्य स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई में भाग लें। यदि उक्त तिथि को वे सुनवाई में भाग नहीं लेते हैं तो एकतरफा सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। दिनांक 4-1-2016 को उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह ने सुनवाई में भाग लिया गया और पुन: समय की मांग की। इस पर अब और समय देना उचित नहीं था फिर भी विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दिनांक 6-1-2016 का समय निर्धारित किया गया। विद्वान अधिवक्ता से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपना रिटेन स्टेटमेंट भी समर्पित कर दें और अपने मुवक्किल के पक्ष में जो कुछ भी कहना हो, उस दिन कह सकते हैं। श्री संजय कुमार सिंह के विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने जोर दिया कि श्री सम्राट चौधरी को अपना पक्ष रखने के लिए काफी समय दिया जा चुका है और अब और अधिक समय देना उचित नहीं है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय का एक उद्धरण दिया :

As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of para 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntary giving up, by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, the fact that the Speaker takes the decision only thereafter in

those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-second Amendment of the Constitution and on a true understanding of para 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post fact.

जैसा कि ऊपर अंकित है इस वाद की नोटिस श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को दिनांक 3-11-2015 को ही उपलब्ध कराया गया जिस प्राप्ति को उन्होंने मानने से इनकार किया। उनकी बात स्वीकार कर भी ली जाए तो उन्हें दिनांक 9-11-2015 और दिनांक 19-11-2015 को इस वाद की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। यद्यपि श्री चौधरी परिषद् की समिति की बैठकों में उपस्थित हुए परन्तु उन्होंने अपनी अस्वस्थता के आधार पर लगातार समय का अनुरोध किया जिसे स्वीकार किया गया। अंततोगत्वा दिनांक 23-12-2015 को यह स्पष्ट किया गया कि समय दिया जाना न्यायहित में नहीं होगा और सुनवाई की अगली तिथि तक अगर श्री चौधरी उपस्थित होकर अपना बचाव नहीं करते हैं तो वाद की एक तरफा सुनवाई की जाएगी। दिनांक 6-1-2016 को श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति कर वाद की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया। आवेदन में आपत्ति का आधार यह है कि माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह का आवेदन भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के नियम 6 एवं 7 के अनुरूप नहीं है और न तो शपथ पर समर्पित है और न ही दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुरूप सत्यापित है। विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने उक्त प्रारंभिक आपत्ति का प्रतिवाद करते हुए यह कहा कि यह निर्मूल एवं आधारहीन है और वाद के निष्पादन को विलंबित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस प्रकार की आपत्ति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रवि एस.नायक एवं डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह के न्याय निर्णयों में नियम 6 एवं 7 की व्याख्या की है एवं आपत्ति को निराधार पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस न्यायाधिकरण द्वारा हाल ही में डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में इस प्रकार

की आपत्ति को अस्वीकार किया गया।

दिनांक 6-1-2016 को सुनवाई के क्रम में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रारंभिक आपत्ति एवं गुण दोष के आधार पर समेकित आदेश के द्वारा वाद का निष्पादन किया जाएगा। तदोपरान्त श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलाकान्त उपाध्याय ने एक लिखित उत्तर समर्पित किया है। उसमें मुख्यत: यह कहा गया है कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार जनता दल (यू) के सदस्य थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने 'हम' की सदस्यता कभी ग्रहण नहीं किया। आवेदन के साथ सूचना के अधिकार से प्राप्त सूचना संलग्न है जिसमें 'हम' के पदाधिकारी ने यह सूचना दी है कि श्री चौधरी 'हम' के सदस्य नहीं हैं। जहां तक विज्ञापन में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के स्टार प्रचारक की भूमिका का प्रश्न है, उसके संबंध में यह कहा गया है कि पहली बार उन्हें दिनांक 4-1-2016 को इस तथ्य की जानकारी हुई कि उन्हें प्रचारक के रूप में दर्शाया गया है। यह तथ्य उनके संज्ञान में नहीं था और इस मसले पर कानूनविदों से सलाह कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।

लिखित उत्तर का सारांश यह है कि श्री चौधरी ने अपने को 'हम' के साथ जुड़ने की बात को सिरे से नकारा है। 'हम' के स्टार प्रचारक के संबंध में उन्हें यह कहना है कि यह उनकी बिना सहमति के हुई है एवं इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है।

श्री संजय कुमार सिंह के विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने विद्वान अधिवक्ता श्री उपाध्याय द्वारा समर्पित प्रारंभिक आपत्ति को निर्मूल एवं निराधार बतलाया और यह कहा कि इस प्रकार की आपत्ति का उद्देश्य सुनवाई को टालने के लिए किया गया है। उनका यह कहना है कि जिन विन्दुओं की चर्चा श्री उपाध्याय ने की है, उसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रवि एस.नायक एवं डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में विस्तृत व्याख्या की है। श्री पी.के.शाही ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया जो निम्न प्रकार है :

पृष्ठ-111, पाराग्राफ-16 में वर्णित है: 16. Sub-Rule (1) of Rules 6 says that no reference of any question as to whether a member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule shall be made except by a petition in relation to such member made in

accordance with the provisions of the said Rule and Sub-rule (6) of the same Rule provides that every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure for the verification of pleadings. The heading of Rule 7 is 'PROCEDURE'. Sub-Rule (1) of this Rule says that on receipt of petition under Rule 6, the Chairman shall consider whether the petition complies with the requirement of the said Rule and sub-Rule (2) says that if the petition does not comply with the requirement of Rule 6, the Chairman shall dismiss the petition. These rules have been framed by the Chairman in exercise of power conferred by paragraph 8 of Tenth Schedule. The purpose and object of the Rules is to facilitate the job of the Chairman in discharging his duties and responsibilities conferred upon him by paragraph 6, namely, for resolving any dispute as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Tenth Schedule. The Rule being in the domain of procedure, are intended to facilitate the holding of inquiry and not to frustrate or obstruct the same by introduction of innumerable technicalities. Being subordinate legislation, the Rules cannot make any provision which may have the effect of curtailing the content and scope of the substantive provision, namely, the Tenth Schedule. There is no provision in the Tenth Schedule to the effect that until a petition which is signed and verified in the manner laid down in the CPC for verification of pleadings is made to the Chairman or the Speaker of the House, he will not get the jurisdiction to give a decision as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Schedule. Paragraph 6 of the Schedule does not contemplate moving of a formal petition by any person for assumption of jurisdiction by the Chairman or the Speaker of the House. The purpose of Rules 6 and 7 is only this much that the necessary facts on account of which a member of the House becomes disqualified for being a member of the House under paragraph 2, may be brought to the notice of the Chairman. There is no lis between the person moving the petition and the member of the House who is alleged to have

incurred a disqualification. It is not an adversarial kind of litigation where he may be required to lead evidence. Even if he withdraws the petition it will make no difference as the duty is cast upon the Chairman or the Speaker to carry out the mandate of the Constitutional provision, viz. the Tenth Schedule. The object of Rules 6 which requires that every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the CP/C for the verification of pleadings, is that frivolous petitions making false allegations may not be filed in order to cause harassment. It is not possible to give strict interpretation of Rules 6 and 7 otherwise the very object of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act by which Tenth Schedule was added would be defeated. A defaulting legislator, who has otherwise incurred the disqualification under paragraph 2, would be able to get away by taking the advantage of even a slight or insignificant error in the petition and thereby asking the Chairman to dismiss the petition under sub-rule (2) of Rule 7. The validity of the Rules can be sustained only if they are held to be directory in nature as otherwise, on strict interpretation, they would be rendered ultra vires.

श्री शाही ने यह भी बतलाया कि हाल में ही डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में श्री मंगलम ने इसी प्रकार की आपत्ति की थी, जिसे अस्वीकृत किया गया है।

मैं विद्वान परामर्शी श्री पी.के. शाही की दलील से पूर्णतया सहमत हूं कि इस वाद का निस्तारण श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के प्रारंभिक आपत्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। नियम 6 एवं 7 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की जो व्याख्या है, उसके अनुरूप वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित होगा।

विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने यह कहा कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के लिखित उत्तर के जवाब में उन्हें लिखित रूप में कुछ नहीं कहना है। उन्होंने यह कहा कि गत् विधान सभा चुनाव से पूर्व एवं चुनाव के दौरान श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार की भूमिका सार्वजनिक रूप से ज्ञात है। यह पूरे राज्य को मालूम है

कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के पिता श्री शकुनी चौधरी 'हम' के प्रदेश अध्यक्ष हैं एवं बिहार विधान सभा के चुनाव में तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से 'हम' पार्टी के प्रत्याशी थे। श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के भाई श्री राजेश कुमार उर्फ रोहित कुमार खगड़िया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी थे। ये दोनों उम्मीदवार राजग गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता दल (यू) विधान मंडल दल ने जब श्री जीतन राम मांझी को नेता पद से अपदस्थ किया, उस समय से लगातार श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के कृत्य एवं आचरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उन्हें अपने मूल राजनीतिक दल में न तो विश्वास है और न ही आस्था बची है। चुनाव की घोषणा के पूर्व ही श्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में एक नए राजनीतिक दल का अभ्युदय हुआ और उस दल के साथ जनता दल (यू) के कई नेता, उदाहरण के तौर पर श्री नरेन्द्र सिंह, डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह, श्री वृशिण पटेल, श्री शाहिद अली खान, श्री राहुल कुमार, श्री अजीत कुमार, डॉ0 अनिल कुमार, श्री राजू सिंह इत्यादि 'हम' से जुड़ गए। श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार सक्रिय रूप से 'हम' के साथ जुड़े और पूरे विधान सभा चुनाव के दौरान उन्होंने 'हम' एवं राजग के पक्ष में सार्वजनिक तौर पर कार्य किया। विभिन्न रैलियों, सभाओं में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने भाग लिया जिसे इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया। विद्वान परामर्शी श्री पी.के. शाही ने यह कहा कि भारत की राजनीति में मर्यादाओं एवं नैतिक मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है और इसके लिए कुछ ही लोग जिम्मेवार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को स्वयं बिहार विधान परिषद् की सदस्यता त्याग देनी चाहिए जैसा कि अन्य दो सदस्य श्री भीम सिंह एवं श्री मंजर आलम ने किया है। श्री शाही ने यह भी कहा कि इसी प्रकार जनता दल (यू) का सदस्य रहते हुए डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह 'हम' से जुड़े एवं 'हम' के उम्मीदवार बनकर गत् विधान सभा में चुनाव लड़े। डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह को निर्हरित घोषित किया जा चुका है। श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का मामला एक प्रकार से समान है, अंतर इतना ही है कि वह स्वयं चुनाव नहीं लड़े। परन्तु अन्य गतिविधियां डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह के समान रही है। इसी प्रकार श्री नरेन्द्र सिंह भी जनता दल (यू) का सदस्य रहते हुए 'हम' एवं राजग से जुड़े एवं इस नए दल के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। उनके विरुद्ध भी निर्हरता के वाद की सुनवाई साथ-साथ चल रही है।

यह उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ कि संविधान की दसवीं अनुसूची में निर्हरता के लिए जब कोई कार्रवाई की जाती है तब सभापति का यह कर्त्तव्य है कि वह पूर्णतया संतुष्ट हो कि निर्हरता के यथेष्ट एवं समुचित आधार हैं अथवा नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग से यह सूचना प्राप्त करने का निर्देश मैंने अपने परिषद् सचिवालय को दिया कि वहां कोई ऐसा दस्तावेज उपलब्ध है जिससे आवेदन के पक्ष

अथवा विपक्ष के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके। भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त कागजात से यह प्रमाण प्राप्त होता है कि लिखित रूप में भारत के निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों से अपने स्टार प्रचारकों की अनुमति मांगी है और 'हम' ने लिखित रूप से निर्वाचन आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध कराई है। उक्त लिखित अनुरोध पत्र 'हम' के उपाध्यक्ष श्री भागवत लाल वैश्यंत्री द्वारा समर्पित किया गया है और उक्त लिखित अनुरोध में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का नाम उल्लिखित है। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न पंजीकृत राजनीतिक दलों के नेताओं को स्टार प्रचारकों की अनुमति दी जाती है। प्राय: सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग को अपने दल के नेताओं की सूची समर्पित करते हैं एवं निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों द्वारा समर्पित सूची के आधार पर स्टार प्रचारक की मान्यता देते हुए उनके द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति देता है। निर्वाचन आयोग ऐसे स्टार प्रचारकों के भ्रमण की सुविधा के लिए एवं प्रचार में भाग लेने के लिए पास भी निर्गत करता है।

दिनांक 6-1-2016 को सुनवाई के पूर्व विद्वान अधिवक्ता श्री कमलाकान्त उपाध्याय ने पुन: लिखित उत्तर समर्पित किया। निर्वाचन आयोग के दस्तावेज के संबंध में विद्वान अधिवक्ता की यह आपत्ति की है कि यह कागजात श्री संजय कुमार सिंह के आवेदन के साथ संलग्न नहीं है और सभापति को इस प्रकार के कागजात प्राप्त करने का कानून में अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं इस दलील को निरर्थक मानता हूँ। न्याय हित में सभापति को संतुष्ट होना है कि निर्हरता का आधार यथेष्ट एवं समुचित हैं अथवा नहीं और इसको ध्यान में रखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग में उपलब्ध कागजात जो कि पब्लिक डॉक्युमेंट्स है, प्राप्त किया जाना किसी भी पहलू से अवैध एवं अधिकार रहित नहीं कहा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि स्टार प्रचारक बनने हेतु श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का कोई लिखित सहमति नहीं दिया गया है। इस प्रकार के तर्क को क्षण भर के लिए भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। अगर श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार 'हम' में नहीं थे तब उनका नाम 'हम' की तरफ से अनायास ही दिया जाना समझ से परे है। कोई भी राजनीतिक दल अपने दल के ही नेताओं को स्टार प्रचारक बनाता है, न कि दूसरे दल के नेता को।

विद्वान परामर्शी श्री शाही ने माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्याय निर्णयों, डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद्, 2005(1), P.L.J.R.(SC) 102 एवं रवि एस. नायक बनाम भारत सरकार 1994 Supp.(2) SCC 641 एवं राजेन्द्र सिंह राणा (2007) 4 SCC 270 का हवाला दिया है।

श्री शाही ने यह कहा है कि रवि एस. नायक के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) में यह आवश्यक नहीं है कि कोई सदस्य अपने मूल राजनीतिक दल का लिखित रूप से या उद्घोषित रूप से त्याग करे। कोई व्यक्ति अपने कृत्य, आचरण एवं व्यवहार से अपना मूल राजनीतिक दल का त्याग कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल का ही सदस्य हो सकता है। श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार दल (यू) का सदस्य रहते हुए एक दूसरे राजनीतिक दल 'हम' से नहीं जुड़ सकते थे। हम के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल का स्वेच्छया परित्याग कर दिया है। श्री शाही ने यह कहा कि गत बिहार विधान सभा चुनाव में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार की भूमिका पूरे राज्य में सार्वजनिक रूप से ज्ञात है और इसके लिए अलग से कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अव्वल तो श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार की यह राजनीतिक मर्यादा होनी चाहिए कि वह सदन की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग कर दें। सदस्यता का परित्याग कौन कहे, वह तो इस वाद में आधारहीन एवं निरर्थक तथ्यों के साथ अपना बचाव करने में लगे हैं। उन जैसे व्यक्तियों के कृत्य, आचरण और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए ही संविधान के दसवीं अनुसूची में अनुच्छेद 2(1)(क) समावेशित किया गया है। श्री शाही ने आगे यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग के दस्तावेज इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार 'हम' के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं। मात्र दल के संस्थापक सदस्य अथवा सदस्य होने का कागजी प्रमाण उपलब्ध नहीं रहने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार 'हम' के साथ नहीं जुड़े थे। अगर वह 'हम' के नेता नहीं होते तो उनका नाम स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया जाता। श्री शाही ने यह भी कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में राजग द्वारा पूरे चुनाव में प्राय: प्रतिदिन अपने विभिन्न घटक दल के नेताओं की सभाओं, रैलियों की जानकारी सार्वजनिक रूप में जारी की गई थी एवं प्रकाशित विज्ञापनों में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का फोटोयुक्त नाम भी प्रकाशित रहता था। अपने दावे के समर्थन में श्री शाही ने ऐसा ही दृष्टान्त का साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसमें श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार सहित राजग के विभिन्न घटक दलों के नेताओं का विस्तृत चुनावी कार्यक्रम प्रकाशित है। अगर श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार 'हम' के स्टार प्रचारक नहीं थे तो उन्हें आपत्ति करनी चाहिए थी या इस प्रकार के विज्ञापन में अपनी उपस्थिति का खंडन करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। श्री चौधरी बिहार विधान परिषद् का सदस्य के अतिरिक्त बिहार सरकार में मंत्री का पद भी धारित करते हैं। उनकी यह दलील कि उन्हें 'हम' के स्टार प्रचारक होने की जानकारी नहीं थी, हास्यास्पद, अविश्वसनीय एवं मिथ्या है।

श्री शाही ने अपनी दलील में यह भी कहा कि डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह केस का मामला इसी राज्य का है जिसमें कांग्रेस का सदस्य रहते हुए वह लोक सभा का चुनाव लड़े थे और उन्हें इसी सदन से निर्हरित घोषित किया गया था। उक्त वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके निर्हरन की कार्रवाई को संविधान सम्मत ठहराया है। इस आधार पर श्री शाही ने कहा कि अपने मूल राजनीतिक दल के अलावा किसी दल अथवा बिना किसी दल के चुनाव लड़ना अथवा ऐसे किसी दल के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना एक समान कृत्य है और इस प्रकार के कृत्य निश्चित तौर पर ऐसे सदस्य को सदन की सदस्यता से निर्हरित करने के यथेष्ट एवं समुचित आधार होगा। श्री शाही राजेन्द्र सिंह राणा के फैसले पर भी मेरा ध्यान आकृष्ट कराया है।

इसके विपरीत श्री चौधरी के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलाकान्त उपाध्याय ने जहां पुन: समय का अनुरोध किया वहीं दूसरी तरफ यह कहा कि इस वाद में उनके मुवक्किल के विरुद्ध कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उनकी विश्वसनीयता स्वीकारने योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के द्वारा जिन सभाओं/रैलियों अथवा चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने के समाचार प्रकाशित हुए हैं और जो साक्ष्य समर्पित की गई है, इसका सोर्स ज्ञात नहीं है और न ही पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराई गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह कहा कि निर्वाचन आयोग में उपलब्ध कागजातों का प्रयोग इस वाद में नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह श्री संजय कुमार सिंह के आवेदन में उल्लिखित नहीं है और न ही उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

संविधान की दसवीं अनुसूची में प्राप्त आवेदनों की सुनवाई एवं निर्णय में कानून की तकनीकियां बाधा नहीं बन सकती है। मात्र इस बात का ध्यान रखना है कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर मिले एवं निर्णय ऐसे तथ्यों पर आधारित हो जो relevent हों एवं irrelevent तथ्यों पर विचारण नहीं किया गया हो। इसके अतिरिक्त अन्य तकनीकी आधार उदाहरणस्वरूप, साक्ष्य संहिता का पालन, दीवानी प्रक्रिया संहिता का पालन इत्यादि इस न्यायाधिकरण के लिए उस ढंग से आवश्यक नहीं है जिस ढंग से उसका प्रयोग सक्षम दीवानी न्यायालयों द्वारा किया जाता है।

इस वाद में नैसर्गिक न्याय का पालन किया गया है। पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। निर्णय के पक्ष और विपक्ष में उपलब्ध साक्ष्य पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया।

संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) के अंतर्गत सदन का कोई सदस्य वस्तुत: अपने मूल राजनीतिक दल के परित्याग की तिथि से ही निर्हरित माना गया है। सभापति अथवा अध्यक्ष को इस अवधारणा के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत जिनका उल्लेख मैंने ऊपर किया है, का अनुसरण करते हुए वाद का निष्पादन किए जाने के अधिकार प्राप्त हैं। इस वाद में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे यह निर्विवाद एवं अकाट्य रूप से स्थापित है कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार बिहार विधान परिषद् के सदस्य मनोनीत हुए हैं एवं जनता दल (यू) की सदस्यता ग्रहण किए हैं। उनका कार्यकाल दिनांक 23-5-2020 को समाप्त हो रहा है। जनता दल (यू) का सदस्य रहते हुए उन्होंने एक नए राजनीतिक दल 'हम' के साथ अपने को सक्रिय रूप से जोड़ा। श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने गत विधान सभा चुनाव के पूर्व एवं पूरे चुनाव के दरम्यान 'हम' की विभिन्न बैठकों, चुनावी सभाओं/रैलियों इत्यादि में भाग लिया। उन्होंने 'हम' के स्टार प्रचारक के रूप में कार्य किया। 'हम' के स्टार प्रचारक के रूप में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को चुनाव आयोग ने मान्यता दी और इस प्रकार एक नहीं अनेकानेक ऐसे अवसर आए जिसमें श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने सक्रियता से 'हम' के साथ कार्य किया। उनका यह कहना कि वह 'हम' के सदस्य नहीं हैं और उसके कोई दस्तावेजी सबूत नहीं उपलब्ध हैं, स्वीकार करने योग्य नहीं है। उनका यह कहना कि निर्वाचन आयोग के कागजात को आधार इसलिए नहीं बनाया जा सकता है कि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं है और न ही उनके आवेदन का अंग है, वस्तुत: निरर्थक एवं आधारहीन दलील है। भारतीय प्रजातंत्र की अवधारणा दलीय व्यवस्था पर आधारित है। देश अथवा राज्य के स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दल को चुनाव आयोग पंजीकृत करता है एवं मान्यता प्रदान करता है। ऐसे दल राष्ट्रीय भी हो सकते हैं और क्षेत्रीय भी हो सकते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना संविधान होता है एवं उनके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं। राजनीतिक दल के अपने नेता एवं कार्यकर्त्ता होते हैं। अपने निजी स्वार्थों एवं हितों के कारण दल विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची का समावेश किया गया है। दसवीं अनुसूची के विभिन्न कंडिका में किसी सदन के सदस्य को निर्हरित किए जाने को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। कंडिका 2(1)(क) निर्हरता की एक अलग श्रेणी है जिसमें कोई सदस्य अगर अपने मूल राजनीतिक दल का लिखित अथवा अघोषित परित्याग करता है तो वैसी स्थिति में वह तत्समय धारित सदन की सदस्यता से निर्हरित हो जाएगा।

मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत रवि एस.नायक एवं डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह एवं राजेन्द्र सिंह के फैसलों का सूक्ष्म अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो व्याख्या की गई है उससे यह स्पष्ट है कि यह कतई आवश्यक नहीं है कि किसी सदस्य को तभी निर्हरित घोषित किया जा सकता है जब वह

लिखित रूप से अपने मूल राजनीतिक दल का त्याग करे। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यह साबित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि नए राजनीतिक दल की सदस्यता का दस्तावेजी सबूत होना आवश्यक है। इस प्रकार के दृष्टांत और साक्ष्य जिनसे संकेत मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता का परित्याग कर दिया है तो वैसी स्थिति में वह इस तरह से धारित सदन की सदस्यता से निर्हरित हो जाएगा। वर्तमान वाद में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का यह कहना कि उन्होंने 'हम' की सदस्यता नहीं ग्रहण की अथवा निर्वाचन आयोग में जो साक्ष्य है वह उन्हें 'हम' का सदस्य होने का प्रमाण नहीं है, अपने आप में हास्यास्पद है। राजनीति की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्हें तो इस वाद में अपना बचाव ही नहीं करना चाहिए था और श्रेयस्कर होता यदि वह सदन की सदस्यता त्याग देते। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उलटे अपनी सार्वजनिक सक्रिय भूमिका पर ही प्रश्न चिह्न खड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार की दलील स्वीकार करने से संविधान की दसवीं अनुसूची की आत्मा ही समाप्त हो जाएगी। दसवीं अनुसूची में इस प्रकार के राजनीतिक नेताओं को संरक्षण देना संविधान के साथ क्रूर मजाक बन जाएगा। उपरोक्त के आलोक में सभी तथ्यों पर विचार करने, संबंधित पक्षकारों की दलीलें सुनने और विशेषकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयों में उदघोषित व्याख्या को ध्यान में रखते हुए श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निर्हरित घोषित किए जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतएव श्री संजय कुमार सिंह के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है एवं श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के दावे को खारिज किया जाता है।

श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का इस प्रकार का कृत्य, आचरण एवं व्यवहार यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल, जनता दल(यू) का स्वेच्छया परित्याग दिया है। अतएव, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची एवं बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से दिनांक 6-1-2016 के प्रभाव से निरर्हित घोषित करता हूँ।

अवधेश ना. सिंह 14/1/16

(अवधेश नारायण सिंह)

सभापति

बिहार विधान परिषद्